

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

स्व. श्री गोपाराम पटेल (मृतक) अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जम्बरगढ की ढाणी, डरी, पं0स0 पाली जिला पाली की मृत्यु ड्यूटी पर रहते हुए 06.04.2018 को हुई दुर्घटना में ईलाज के दौरान दिनांक 11.04.2018 को हो जाने के परिणामस्वरूप राजस्थान सेवा नियम-1 के पेंशन नियम 1996 के नियम 75(2)(बी) के तहत मृतक की पत्नी श्रीमती लीलादेवी को 20 लाख रुपये (अखरे रुपये बीस लाख मात्र) अनुग्रह राशि की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

उक्त राशि का भुगतान लेखामद-2071-01-104-(02) अनुग्रह अनुदान मद से किया जाना है ।


यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के आश्रित को सरकारी स्तरों जैसे प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष से भी राहत राशि मंजूर की जाती है तो विभिन्न स्तरों से मंजूर कुल राहत/अनुग्रह राशि को विभाग द्वारा स्वीकृत रुपये 20 लाख में से भी कम करके भुगतान करना सुनिश्चित करें ।


निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शि.संस्था./एफ-1/गोपाराम/एक्सग्रेसिया/18 दिनांक- 24/09/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।
2. जिला कलेक्टर, पाली ।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, पाली ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, पाली ।
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पं0स0 पाली जिला पाली को प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. श्रीमती लीलादेवी पत्नी स्व. श्री गोपाराम पटेल (मृतक) अध्यापक पता-गांव पोस्ट भांवरी तहसील पाली जिला पाली(राज0) ।
7. आरक्षित पत्रावली ।


निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर